मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ. 5-1/92/9/1, भोपाल, दिनांक 20 मार्च, 1992

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
भोपाल.

विषय.—शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली में निलंबित अधिकारी का मतांकन.

शासन के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या निलंबित अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ शासकीय सेवकों की गोपनीय चरित्रावली लिखी जा सकती है अथवा नहीं.

2. इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि यदि गोपनीय चरित्रावली लिखे अथवा पुनरीक्षण किये जाने के नियत समय पर प्रतिवेदक/पुनरीक्षक अधिकारी निलंबित है तो उक्त रिपोर्ट संबंधित अधिकारी के निलंबन अधीन रखे जाने की तारीख से दो माह के भीतर अथवा रिपोर्ट देय होने की तारीख से एक माह के भीतर जो भी बाद में हो, लिखी अथवा पुनरीक्षित की जा सकती है. परंतु निर्दिष्ट समय-सीमा के बाद किसी भी विलंबाधीन अधिकारी को रिपोर्ट लिखने/पुनरीक्षा करने की पात्रता नहीं होगी.

3. कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जावें.

हस्ता./-
(चन्द्रहास बेहार)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.